

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. 2020/सेफटी(डीएम)6/14

नई दिल्ली, दिनांक 07.04.2020

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम एवं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
निदेशक, सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.03.2020 का समसंख्यक पत्र।

गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर जारी दिशा-निर्देश तथा उनसे संबंधित परिशिष्ट अनुपालन के लिए संदर्भाधीन पत्रों के तहत क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को अग्रेषित किए गए थे।

2. गृह मंत्रालय द्वारा उक्त विषय पर विभिन्न आदेश/पत्र और परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	पत्र/आदेश सं. एवं तारीख	विषय
1.	40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 27.03.2020	2रा परिशिष्ट
2.	40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 29.03.2020	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सशक्त समूहों का गठन
3.	40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 29.03.2020	अर्द्धशासी पत्र, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिवों को स्पष्टीकरण दिया गया है।
4.	40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 02.04.2020	3रा परिशिष्ट
5.	40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 03.04.2020	अर्द्धशासी पत्र, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिवों को स्पष्टीकरण दिया गया है।
6.	40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 03.04.2020 एवं 04.04.2020	4था परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्र

उपर्युक्त आदेशों/पत्रों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. इसके अलावा, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध और डाउनलोड किए गए अद्यतन "समेकित दिशा-निर्देश" भी इसके साथ संलग्न किए गए हैं।

4. कृपया उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों/पत्रों/और परिशिष्ट/शुद्धिपत्रों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डिम्पी गर्ग)

कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(एम)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त